हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

कल्याण समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2021-22)

39वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम से सम्बन्धित समिति का 33वाँ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित।

(दिनांक: 3.03.2022 को सदन में उपस्थापित किया गया)

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1.	समिति का गठन	(ii)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	1 से 4 तक
4.	सिफारिशें/टिप्पणीयां	5

समिति का गठन

सभापति

1. **श्री बलबीर सिंह**

सदस्य

2. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल
3. श्री विनय कुमार
4. श्री नन्द लाल
5. श्री किशोरी लाल
6. श्री हीरा लाल
7. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
8. श्रीमती रीता देवी
9. श्री इन्द्र सिंह
10. श्रीमती रीना कश्यप
11. श्री संजय अवस्थी

विधान सभा सचिवालय

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्रीमती सुचेता देवी : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, सभापति, कल्याण समिति (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2021-22) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से समिति का **39वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित " **अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम** " पर आधारित समिति के **33वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2020-21) में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर तैयार किया गया है, को सदन में उप:स्थापित करता हूँ ।

कल्याण समिति का गठन, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 (नवम् संस्करण) के नियम 209 एवं 211 के अनुसरण में जारी अधिसूचना सं0 वि-0स0विधायन समिति-गठन 1-14/2018, दिनांक 01 अप्रैल,2021 तथा जिसका आंशिक परिवर्तन दिनांक 29.09.2021 व 10.11.2021 को किया गया ।

कल्याण समिति का **33वॉ मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) जोकि दिनांक **03.03.2021** को सदन में उपस्थापित कर **दिनांक 05.03.2021** को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया था। प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों/टिप्पणीयों के उत्तर विभाग ने **दिनांक 06.07.2021** को उपलब्ध करवाये। इन उत्तरों पर समिति ने **दिनांक 03.11.2021** को प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया। इस प्रकार यह **कार्रवाई प्रतिवेदन** विभाग के लिखित उत्तरों एवं समिति द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर आधारित है।

समिति ने इस कार्रवाई प्रतिवेदन को **दिनांक 18.02.2022** को आयोजित बैठक में विचारोपरान्त अपनाया तथा सभापति महोदय को इसे सदन में उपस्थापित करने हेतु प्राधिकृत किया।

समिति, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार प्रकट करती है जिन्होंने समिति को लिखित सूचना समय पर उपलब्ध करवाई।

समिति सचिव विधान सभा तथा इस सचिवालय के सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी धन्यवाद करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूपरेखा तैयार करने में सहयोग दिया।

बलबीर सिंह

(बलबीर सिंह)
सभापति,
कल्याण समिति।

दिनांक : 18.02.2022
शिमला-171004.

प्रतिवेदन

कल्याण समिति का **33वॉ मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2020-21) **दिनांक 05.03.2021** को आवश्यक कार्रवाई हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित किया गया था, जिसमें कुल 7 सिफारिशें की गई थी। विभाग ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विभागीय उत्तर **दिनांक 06.07.2021** को समिति के विचारार्थ/संवीक्षार्थ उपलब्ध करवाए। समिति ने **दिनांक 03.11.2021** को आयोजित बैठक में विभाग द्वारा प्राप्त विभागीय उत्तर पर विचार-विमर्श किया और संतुष्टि व्यक्त करते हुए **कार्रवाई प्रतिवेदन** तैयार करने का निर्णय लिया । जो इस प्रकार से हैं:-

1.मूल सिफारिश: 2

समिति सिफारिश करती है कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बनाए गए नियमों का सरलीकरण किया जाए ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके।

समिति सिफारिश करती है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत ऋण लेने हेतु बहुत अधिक औपचारिकताएं हैं जिस कारण पात्र व्यक्ति ऋण नहीं ले पाता है। अत: नियमों को सरल किया जाए।

विभाग ने लिखित उत्तर द्वारा समिति को अवगत करवाया कि माननीय समिति की इस सिफारिश की अनुपालना में यह मामला , आगामी होने वाली माननीय निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा तथा अनुमोदन उपरान्त तदानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।

सिफारिश: /टिप्पणी

समिति को मामले की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

2.मूल सिफारिश: 3

समिति इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या से अवगत होना चाहती है?

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत प्रारम्भ से वर्तमान वित्त वर्ष तक इस निगम के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 256487 जिसमें अनुसूचित जाति के 231641 तथा अनुसूचित जनजाति के 24846 लाभार्थी शामिल है, लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

सिफारिश: /टिप्पणी

समिति जानना चाहती है कि लाभार्थियों को किन-किन उद्देश्यों से यह ऋण प्रदान किया गया है, ब्यौरा दें?

3.मूल सिफारिश: 4

समिति जानना चाहती है कि जितने भी पात्र आवेदक ऋण हेतु आवेदन करते हैं क्या उन सभी को ऋण उपलब्ध करवा दिया जाता है? समिति एजुकेशन लोन की पेंडेंसी व ऋण के वितरण की प्रक्रिया से भी अवगत होना चाहती है।

विभाग द्वारा माननीय समिति को अवगत करवाया गया है कि निगम के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में जो पात्र आवेदक ऋण लेने हेतु आवेदन करते है उन्हें तभी ऋण उपलब्ध करवाया जाता है यदि वह सम्बन्धित ऋण मामले में निर्धारित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हों। वर्तमान समय में पिछली कोई भी पेंडेंसी नहीं है। निगम अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को मैट्रिक के बाद तकनीकी विषयों और व्यवसायों में पढ़ाई करने हेतु अधिकतम 75000/- रूपये का ऋण ब्याज मुक्त व 75000/- से उपर 1,50,000/- रूपये तक 4 प्रतिशत वार्षिक दर पर उपलब्ध करवाता है। शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत आवेदक छात्र के माता पिता व अभिभावक भी सहऋणी होते है। यह ऋण केवल उन्हीं परिवारों के छात्र/छात्राओं को प्रदान किये जाते हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो। ऋण की वसूली कोर्स पूर्ण होने के दो वर्ष बाद अथवा नौकरी मिलने पर जो पहले हो, शुरू हो जाती है । आवेदक क्षेत्रीय कार्यालयों में निर्धारित फार्म पर आवेदन करता है, उसके आवेदन तथा अन्य मुख्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है तथा अध्ययनरत संस्थान को उसके फीस खाते में किस्तों में सम्बन्धित जिला प्रबन्धक कार्यालय के माध्यम से

ऋृण राशि जारी की जाती है तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र निगम मुख्यालय को समय-समय पर प्रेषित किए जाते है।

सिफारिश: /टिप्पणी

समिति जानना चाहती है कि क्या निगम द्वारा शिक्षा ऋृण योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋृण को चुकाने में कोई डिफाल्टर भी हैं? यदि हां, तो ब्यौरा दिया जाए।

4.मूल सिफारिश: 5

समिति सिफारिश करती है कि व्यावसायिक शिक्षा ऋृण की राशि बहुत कम है जिसे बढ़ाया जाए ताकि लाभार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें।

विभाग द्वारा माननीय समिति को अवगत करवाया गया है कि व्यावसायिक कोर्स हेतु वर्तमान में कुल मु0 1,50,000/- रूपये के ऋृण में मु0 75000/- रूपये तक ब्याज मुक्त होता है तथा मु075000/- रूपये के ऋृण पर 4 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज वसूला जाता है। इस राशि को मु0 75000/- रूपये से मु0 150000/- रूपये तक ब्याज मुक्त करने का मामाला माननीय निगम निदेशक मण्डल के अनुमोदन उपरान्त हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा जा चुका है जोकि अभी लम्बित है। इसके अतिरिक्त जिन शिक्षा ऋृण मामलों में कोर्स का खर्च मु0 1,50,000/- रूपये से अधिक होता है उसे NSDC,NSTFDC तथा NSKFDC, नई दिल्ली के सौजन्य से संचालित शिक्षा ऋृण योजनाओं के अन्तर्गत वितरित किया जाता है।

सिफारिश: /टिप्पणी

समिति को व्यावसायिक कोर्स हेतु 75,000 रूपये के ऋृण से 1,50,000/- रूपये तक ब्याज मुक्त करने के मामले की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

5.मूल सिफारिश: 6

समिति सिफारिश करती है की इन योजनाओं को व्यापक प्रचार एवं प्रसार रेडियो और अखबारों के माध्यम से भी किया जाए ताकि इसकी जानकारी आम जनता तक पहुंच सकें। इसके अलावा जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से भी अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करके लोगों को जागरूक किया जाए।

विभाग द्वारा माननीय समिति को अवगत करवाया गया है कि निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से समय-समय पर पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि आम जनता को इन योजनाओं का लाभ मिल सकें।

सिफारिश: /टिप्पणी

समिति जानना चाहती है कि पिछले 2 वर्षों में निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पंचायत स्तर पर कितने जागरूकता शिविर लगाए गए और किन-किन जन प्रतिनिधियों ने उनमें भाग लिया?

6.मूल सिफारिश: 7

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को व्यावसायिक शिक्षा हेतु जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है उसके लिए निर्धारित शर्तों की प्रति समिति को उपलब्ध करवाई जाएं।

विभागीय उत्तर **अनुलग्नक "क"** पर संलग्न है जिसका माननीय समिति द्वारा अवलोकन कर लिया गया है।

सिफारिश: /टिप्पणी

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

7.मूल सिफारिश: 10

समिति को निदेशक मण्डल में सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की सूची से भी अवगत करवाया जाए।

विभागीय उत्तर **अनुलग्नक "ख"** पर संलग्न है जिसका माननीय समिति द्वारा अवलोकन कर लिया गया है।

सिफारिश: /टिप्पणी

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

****

पुनः सिफारिशें/टिप्पणीयां

क्र०स	सिफारिश संख्या	पुनः सिफारिश/टिप्पणी
1.	2.	समिति को मामले की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।
2.	3.	समिति जानना चाहती है कि लाभार्थियों को किन-किन उद्देश्यों से यह ऋण प्रदान किया गया है, ब्यौरा दें?
3.	4.	समिति जानना चाहती है कि क्या निगम द्वारा शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण को चुकाने में कोई डिफाल्टर भी हैं? यदि हां, तो ब्यौरा दिया जाए।
4.	5.	समिति को व्यावसायिक कोर्स हेतु 75,000 रूपये के ऋण से 1,50,000/- रूपये तक ब्याज मुक्त करने के मामले की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।
5.	6.	समिति जानना चाहती है कि पिछले 2 वर्षों में निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पंचायत स्तर पर कितने जागरूकता शिविर लगाए गए और किन-किन जन प्रतिनिधियों ने उनमें भाग लिया?

****